...... का बहस सुना गया। दोनों पक्ष नवीन नक्शा ट्रेस के अनुसार बंटवाड़ा हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 115, 152 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस दुरुस्ती आदेश निर्णय हेतु दिनांक 10/7/19 को पेश हो।

10-7-19 प्रार्थी श्री भेरु सिंह पिता गोवर्धन सिंह राजपूत कौरह व इनके अधिवक्ता श्री महेश खारोल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152, व 115 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर डिक्री प्रकरण संख्या 129/15 निर्णय दिनांक 12.11.16 को सहमति के आधार पर बंटवाड़ा को मध्यनजर रखते हुए वाद को अन्तिम डिक्री किया गया था, बंटवाड़ा में जो रकबा डिक्रीदार व मदयूनान को दिया गया वही सही था परन्तु नक्शा ट्रेस में मौके पर विभाजन से हटकर अंकन कर दिये जाने से नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा अनुसार अंकन कर दिये जाने से वास्तविक बंटवाड़ा नक्शा ट्रेस में नहीं हो पाया, नक्शा में मौके पर कब्जे अनुसार अंकन किये जाने, फर्द बंटवाड़ा के नक्शा में दुरुस्त किये जाने हेतु मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर डिक्री के नक्शा संशोधन की अनुमति चाही गई। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी सं. 4 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार मेहता ने उपस्थिति दी तथा वकालतनामा पेश किया गया जवाब हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादी सं. 1

बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए तथा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 18-6-18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय संगेसरा पर आयोजित शिविर में वादी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु पेश किया गया। इस सम्बन्ध में मौजा सातलियावास की आराजी को आ०नं० 121, 122 किता 2 कुल रकबा 0.7590 है० भूमि की कब्जा बाबत मौका रिपोर्ट तहसीलदार डूंगला से प्राप्त की गई। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा सातलियावास की आ०नं० 121, 122 किता-2 कुल रकबा 0.7590 है० भूमि की प्रार्थी एवं विपक्षी व मौतबिरान के साथ मौका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मौजा सातलियावास की आ०नं० 121 रकबा 0.4550 है० व आराजी नम्बर 122 रकबा 0.3040 कुल किता-2 रकबा 0.7590 है० भूमि राम सिंह पिता गोपाल सिंह ½ सा० हरिमारवेड़ी, भेरूसिंह, लक्ष्मण सिंह पिता गोवर्धन राजपूत सा० देह ½ के खातेदारी में दर्ज थी, जो नामान्तरण सं० 513 दिनांक 24-1-17 से डिक्री आदेश से आ०नं० 121मी० रकबा 0.3795 है० श्रीमती दुर्गाकुंवर पत्नी गोविन्द सिंह राजपूत सा० देह, तथा आ०नं० 121/1 रकबा 0.0755 है० व आराजी नम्बर 122 रकबा 0.3040 है० कुल किता-2 रकबा 0.3795 है० भूमि भेरू सिंह, लक्ष्मणसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत सा० देह के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। इसी रकबे अनुसार व कब्जे के अनुसार तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो सही है। इससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहमत है।

अतः मौजा सातलियावास की आ०नं० 121मी० रकबा 0.3795 है० एवं आराजी नम्बर 121/1 रकबा 0.0755 है० व आ०नं० 122 रकबा 0.3040 कुल किता 2 रकबा 0.3795 है० भूमि का फर्द बंटवारा व नक्शा ट्रेस

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
फाईनल डिक्री जारी की गई। डिक्री आदेश की पालना में पटवारी हल्का सांगेलसा द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया फर्द नक्शा मौके अनुसार नहीं बनाया जाने से राजस्व नक्शा में व कब्जे वाली भूमि का नाप करने पर भिन्नता होना पाया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि पूर्व में फर्द बंटवाड़ा के साथ तरमीम हेतु जो नक्शा ट्रेस प्रस्तावित किया गया था वह कब्जे अनुसार नहीं किया गया जिस कारण नक्शा में की गई तरमीम एवं विभाजन से प्राप्त हुई भूमि के क्षेत्रफल का नाप करने पर भिन्नता पाई जाने से राजस्व नक्शा में पूर्व में की गई तरमीम को शुद्ध किया जाना प्रार्थीगण डिक्रीदार के लिए आवश्यक होकर न्यायोचित भी है। अत: ग्राम सातखियावास की आ.न. 12/1 रकबा 0.0755 हे. भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को शुद्ध करते हुए प्रस्तावित नक्शा ट्रेस कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार डूंगला को दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम का अंकन किया जावे। आदेश। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार डूंगला को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Scanned by CamScanner